प्राचीन भारत में न्याय व्यवस्था एंव आधुनिक न्याय व्यवस्था

डॉ. प्रीति कुमारी

प्राचीन भारत में न्याय–प्रशासन का आधारभूत नियम यह था कि किसी एक न्यायाधीश द्वारा न्याय को प्रशासित नहीं किया जायेगा। दो या दो से अधिक न्यायाधीशों की कोई पीठ ही सदैव न्याय को प्रशासित करती थी। प्राचीन न्यायिक व्यवस्था कुछ प्रशासी इकाईयों के रूप में प्राचीन राज्यों में प्रचलन में विद्यमान थी। प्राचीन भारत विभिन्न स्वतंत्र राज्यों में बंटा हुआ था और प्रत्येक राज्य में राजा सर्वोच्च प्राधिकारी होता था। राजा अपने मुख्य पुरोहित और सैन्य प्रमुख की मदद से अपने साम्राज्य का शासन चलाता था। प्रत्येक राज्य प्रान्तों में बंटा हुआ था और प्रान्त मण्डलेा और जनपदें में बंटा हुआ था और इन सबके नाम और क्षेत्र बंटे हुआ था प्रत्येक प्रान्त और जनपद के लिये उनकी हैसियत के अनुसार विभिन्न पदनामों पर राज्यपाल जैसे अधिकारी नियुक्त किये जाते थे और प्रायः वे राजा के संबंधी हुआ करते थे तथा कतिपय स्थानों पर वे आनुवंशिक रूप से नियुक्त हुआ करते थे।